

**न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर**  
**बड़जलास-श्री अरुण कुमार पुरोहित, आई.ए.एस**

पंचायत निगरानी संख्या -107/2024  
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर - 2024/115

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत रियांबडी, पंचायत समिति, रियांबडी, तहसील रियां बडी, जिला नागौर (राजस्थान)		महावीर प्रसाद सांखला पुत्र मदनलाल जाति माली निवासी रियांबडी तहसील रियांबडी, जिला नागौर

**उपस्थिति:-**

- 1-प्रार्थी की ओर से राजपैरोकार ।
- 2-अप्रार्थी की ओर से वकील श्री अशोक कुमार वैष्णव ।

**निर्णय**

दिनांक 27.11.2024

1. एक निगरानी अधीन धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के, विरुद्ध पट्टा नम्बर 99 मिसल संख्या 138/2021-22 में दिनांक 24.06.2022 को ग्राम पंचायत,रियांबडी द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी किया गया, उस पट्टे को निरस्त कराने हेतु दिनांक 16.04.2024 को निगरानी प्रस्तुत की गई है।
2. निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ कार्यालय का रेकार्ड प्राप्त किया गया। अप्रार्थी की ओर से वकील श्री अशोक कुमार वैष्णव उपस्थित हुये।
3. प्रार्थी द्वारा निगरानी के समर्थन में पट्टा संख्या 99 की प्रमाणित प्रति,मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद नागौर को सरपंच,ग्राम पंचायत,रियांबडी द्वारा लिखा गया पत्र दिनांक 08.04.2024 एवं तहसीलदार (भू0अ0),रियांबडी द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकार,जिला परिषद,नागौर को इन पट्टों की भेजी गई जॉच रिपोर्ट पत्रांक/भू0अ0/23/2419 दिनांक 26.07.2023 की फोटो प्रतियाँ प्रस्तुत की हैं।
4. मियाद प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 5 लिमिटेशन पर राजपैरोकार को सुना गया।

राजकीय पैरोकार का कथन है कि प्रार्थना पत्र-फर्जकारी व मिथ्याव्यपदेशन के द्वारा पट्टा प्राप्ति बाबत कोई इल्म पूर्व में निगरानीकर्ता ग्राम पंचायत को नहीं रहा, क्योंकि सारी कार्यवाही सदभावना में व अपने पदीय कर्तव्यों के श्रद्धापूर्ण निर्वहन में की गई थी, जिसका विधि संरक्षण करती है। हाल ही में ग्राम पंचायत रियांबडी निगरानीकर्ता को एक पत्र क्र.सं.जिपना/पंचायत/2024/9546 दिनांक 22.03.24 को श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (पंचायत प्रकोष्ठ) नागौर द्वारा जारी किया गया, जो निगरानीकर्ता को दिनांक 08.04.2024 को प्राप्त हुआ, जिस पर निगरानीकर्ता द्वारा प्राथमिक तौर पर पट्टा खिन्ना को देखकर उक्त कथित गड़बड़ी होने के तथ्य प्रथम बार सामने आने से यह निगरानी जानकारी से अविलम्ब अंदर मियाद पेश की गई है, जिसे मियाद शुमार किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।



**कलक्टर नागौर**

विद्वान वकील अप्रार्थी का दौराने बहस कथन हैं कि इस पट्टे की जानकारी निगरानीकर्ता को शुरू से जब पट्टा जारी किया गया तब से ही थी परन्तु अब अप्रार्थी को परेशान करने एवं राजनैतिक स्वार्थ के कारण यह निगरानी बिलम्ब का सही कारण नहीं दर्शाते हुवे बहुत विलम्ब से पेश की गई हैं, इसलिए यह निगरानी मयाद बाहर होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। निगरानीकर्ता द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत मयाद प्रार्थना-पत्र एवं शपथ-पत्र व बहस में किये गये कथनों पर विचार किया गया। प्रकरण में कानूनी बिन्दू निहित होने से निगरानीकर्ता का मयाद प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता हैं एवं निगरानी को अन्दर मयाद शुमार की जाती हैं।

5. (1)-राजपैरोकार की मूल निगरानी पर बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से राजपैरोकार ने निगरानी के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि अप्रार्थी महावीरप्रसाद द्वारा एक आवेदन बाबत जारी करने पट्टा प्रस्तुत किया गया, जो आवेदन पट्टा के पेश संख्या 2 में वर्णित भूमि बाबत प्रस्तुत किया गया एवं उसी पृष्ठ पर पड़ोस अंकन किये गये थे। जिस पर सदभावना से सरसरी जांच कर पट्टा जारी किया गया। मगर बाद में श्रीमान अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद नागौर एवं श्रीमान तहसीलदार साहब रियां बडी द्वारा जांच की गई, जिसमे यह साबित हुआ कि उक्त पट्टा आवेदक द्वारा ग्राम पंचायत को गुमराह रखकर व ग्राम पंचायत को मुगालते में रखते हुए गलत जानकारी आवेदन में अंकित कर पट्टा जारी करवा लिया गया, जो तथ्य छुपाकर व गलत तथ्य प्रकट कर प्राप्त किया गया होने से प्रारम्भतः शुन्यकरणीय हैं। पट्टा जेर निगरानी विधि व तथ्यों के विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

उपरोक्त पट्टा वाली जायगा वास्तविकता में आबादी भूमि में न होकर उनके चिपती राजस्व कृषि भूमि में स्थित है तथा उक्त पट्टा ग्राम पंचायत रियांबडी को धोखे में रखकर गलत व मिथ्यापूर्ण दस्तावेज व नक्शा पेश करते हुए सक्षम राजस्व अधिकारियों के सीमा ज्ञान के बिना व सीमा ज्ञान के तथ्य को छुपाकर प्राप्त किया गया है। इस कारण से भी वर्तमान प्रकरण में अन्तर्ग्रस्त पट्टा तथ्यों को छुपाकर व गलत तथ्य पेश कर दुर्भावना से प्राप्त किया गया होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

पट्टा जेर निगरानी पंचायत एक्ट व पंचायती राज नियम 1996 के कायदों की अवहेलना करते हुए तथ्य छुपाकर वास्तविक व तात्विक तथ्यों का लोप कर प्राप्त किया गया हैं, जो विधि विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

ग्राम पंचायत के समक्ष जब पट्टे के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था, तब प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आबादी भूमि कहकर पट्टा जारी करने के लिए आवेदन किया गया था। मौका निरीक्षण के समय जल्दबाजी में सही रूप से मौका नहीं देखा गया एवं राजस्व भूमि पर गलत रूप से पट्टा जारी कर दिया गया। जिसका न तो अधिकार ग्राम पंचायत को है, अगर यह तथ्य तत्समय आवेदक अप्रार्थी महावीर प्रसाद जिसे इन तथ्यों की बखूबी जानकारी थी, द्वारा ग्राम पंचायत को अवगत करवा दिया जाता तो वैसी सूरत में ग्राम पंचायत पट्टा जारी करने का निर्णय कतई नहीं लेती। जिससे भी हस्तगत पट्टा आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है।

स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियम 147 के अनुसार प्रस्तावित भूमि के विक्रय/पट्टा के सम्बन्ध में पंचायत को अंतिम विनिश्चित करना होता है तत्पश्चात ही नियम 148 के तहत आक्षेप आमंत्रित किये जायेंगे। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत के द्वारा नियम 147 के अनुसार प्रस्तावित भूमि

को विक्रय/पट्टा जारी करने या नहीं करने के सम्बन्ध में कोई अंतिम विनिश्चय किसी भी बैठक में नहीं किया गया है, जो पश्चातवर्ती प्रक्रम पर बाद प्रक्रिया किया जाना प्रस्तावित रहा था, किन्तु हस्तगत प्रकरण के महत्वपूर्ण, सारवान व तथ्य उजागर हो जाने से निगरानी जेर पट्टा पेश की जा रही है, जिससे भी आलोच्य आदेश व पट्टा खारिज होने योग्य है।

नियम 157 के मुताबिक संबंधित पट्टा आवेदक का आवेदित स्थल पर मौके पर पुराना निवास होना चाहिए था, जो नहीं होते हुए भी राजस्व बरानी किस्म की कृषि भूमि का पट्टा तथ्य छुपाकर जारी करवा लिया, जो इस आधार पर भी निरस्त किये जाने योग्य है।

उक्त पट्टा प्रशासन गांवों के संग शिविर में राजस्थान सरकार द्वारा दी गई शिथिलताओं और अधिकतम आमजन को लाभान्वित करने के उद्देश्य से व सदभावना से जारी करने हेतु कार्यवाही की गई, आबादी भूमि के संबंध में पट्टा विलेख ग्राम पंचायत केवल ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकारिता के आबादी एरिया की भूमि के लिए ही जारी करने हेतु सक्षम हैं, किन्तु जानबूझकर अधिकारातीत रूप से तथ्य छुपाकर व ग्राम पंचायत को गुमराह कर वर्तमान प्रकरण में विवादित पट्टा प्राप्त किया गया है, जो इस आधार पर भी निरस्त किये जाने योग्य है।

ग्राम पंचायत का पट्टा धारक के नाम जारी किया गया पुनरीक्षणाधीन पट्टा अवैध, अनाधिकृत, विधि विरुद्ध पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत तथा बिना क्षेत्राधिकार के होने से पट्टा अपास्त किये जाने योग्य है। पट्टा कानूनी तथा विहित प्रक्रिया अपनाये बगैर जारी किया गया है, इसलिए भी पट्टा खारिज होने योग्य है।

ग्राम पंचायत रियांबड़ी पंचायती राज अधिनियम 1994 से शासित एक स्थानीय निकाय हैं, किन्तु निगरानी पेश करते समय आम लोकसभा चुनाव 2024 की आदर्श आचार संहिता भारत चुनाव आयोग द्वारा देश भर में लागू की गई हैं, जिससे नियमानुसार, विधि अनुसार किसी तरह की ग्राम पंचायत की बैठक तत्काल वर्तमान में आचार संहिता के अस्तित्व में रहते आहूत की जाना सम्भव नहीं थी, इस कारण यह निगरानी ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के बिना ही पेश की गई हैं।

विद्वान वकील अप्रार्थी का दौराने बहस कथन है कि पट्टा आबादी भूमि में ही जारी किया गया है। तथा पट्टा जारी होने के बाद उक्त पट्टा का पंजीयन,पंजीयन विभाग से भी हो चुका है। इसलिए जब कोई दस्तावेज का पंजीयन हो जाता है तो उसके बाद उसके सुनवाई का अधिकार सिविल न्यायालय को हो जाता है,इसलिए इस प्रकरण में सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। इसलिए निगरानी खारिज फरमायी जावें। इस हेतु हमने आदेश 7 नियम 11 सपटित धारा 151 सी0पी0सी0 का प्रार्थना-पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया है। इसलिए हमारा यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाया जाकर निगरानी खारिज फरमायी जावें।

6. बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रकरण में ग्राम पंचायत, रियांबड़ी ने अप्रार्थी के नाम पट्टा संख्या 99, नियम 157(1) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के तहत जारी किया गया है। तहसीलदार,रियांबड़ी द्वारा पट्टों की जाँच कार्यालय के पत्र क्रमांक/ भू0अ0/23/2419 दिनांक 26.07.2023 से मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिला परिषद्,नागौर को प्रस्तुत की जिसके संलग्न भू0अभिलेख निरीक्षक,रियांबड़ी एवं पटवारी हल्का,रियांबड़ी द्वारा की गई मौका जाँच रिपोर्ट दिनांक 25.07.2023 भिजवायी है,जिसकी फोटो प्रति इस पत्रावली के संलग्न हैं। जिसके अनुसार



2  
कलक्टर नागौर

प्रश्नगत पट्टा राजस्व कृषि भूमि पर जारी करना पाया गया है। जिससे यह प्रकट है कि पट्टा आबादी की भूमि पर नहीं दिया गया। इस प्रकार जब आराजी भूमि राजस्व कृषि भूमि है तथा ग्राम पंचायत को केवल ग्राम पंचायत में निहित आबादी भूमि में ही पट्टा जारी करने का अधिकार है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. जहां तक विद्वान वकील अप्रार्थी का यह कथन की पट्टा पंजीयन हो चुका है, इसलिए यह प्रकरण सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। इस सम्बन्ध में हमारा मत है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव राजस्व कृषि भूमि पर पट्टा जारी करने का लिया गया है, इसलिए इस प्रस्ताव को निरस्त करने अधिकार इसी न्यायालय को है, जब प्रस्ताव ही विधि विरुद्ध है, जो निरस्त हो जाने से पट्टा स्वतः ही निरस्त है। इसलिए वकील अप्रार्थी का प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत निगरानी संख्या 107/2024 स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत, रियांबड़ी द्वारा अप्रार्थी महावीरप्रसाद के हक में जारी पट्टा संख्या 99 व इससे संबंधित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव जैर निगरानी निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ कार्यालय का रिकार्ड मय निर्णय की प्रति के पुनः लौटाया जावे।  
निर्णय आज दिनांक 27.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अरुण कुमार पुरोहित)  
जिला कलक्टर,  
नागौर  
कलक्टर नागौर